रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 479]	**नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 10, 2018/अग्रहायण 19, 1940**	
No. 479]	**NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 10, 2018/AGRAHAYANA 19, 1940**	

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2018

फा. सं. 11—77/2018—यूनानी (पी.जी.रेगु.).—भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (झ), (ञ) और (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर यूनानी शिक्षा) विनियम, 2016 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियमों का निर्माण करती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ—(1) इन विनियमों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर यूनानी शिक्षा) (संशोधन) विनियम, 2018 कहा जाएगा।

(2) वे कार्यालय राजपत्र में उनके प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर यूनानी शिक्षा) विनियम, 2016 में, विनियम 8 हेतु निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित होंगे, अर्थात् :—

"8 प्रवेश की पद्धति—(1) (i) अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड या चिकित्सीय संस्था से कामिले—तिब्बो—ओ—जराहत (बैचलर आफ यूनानी मेडिसिन एण्ड सर्जरी) की उपाधि धारक और भारतीय चिकित्सा पद्धति की केन्द्रीय अथवा राज्य पंजिका में प्रविष्ट कोई व्यक्ति स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होगा।

(ii) प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु स्नातकोत्तर स्तर पर समस्त चिकित्सा संस्थानों के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा अर्थात अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर पात्रता परीक्षा (ए.आई.ए.—पी.जी.ई.टी.) होगी तथा इसे भारत सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी द्वारा आयोजित कराया जाएगा :

बशर्ते की अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर पात्रता परीक्षा (ए.आई.ए.—पी.जी.ई.टी.) विदेशी राष्ट्रीयता के अभ्यर्थियों के लिए लागू नहीं होंगी।

(iii) किसी शैक्षिक वर्ष हेतु स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को उस शैक्षिक वर्ष हेतु आयोजित अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर पात्रता परीक्षा (ए.आई.ए.—पी.जी.ई.टी.) में न्यूनतम पचास प्रतिशतक अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा;

बशर्ते की निम्न के संबंध में—

(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में न्यूनतम प्राप्त अंक 40 प्रतिशतक होंगे।

(ख) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अधीन विनिर्दिष्ट विकलांगता तल चिन्ह रखने वाले अभ्यर्थियों के मामलें में, सामान्य श्रेणी हेतु न्यूनतम अंक 45 प्रतिशतक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग हेतु न्यूनतम अंक 40 प्रतिशतक होंगे।

व्याख्या– प्रतिशतक का निर्धारण अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर पात्रता परीक्षा (ए.आई.ए.–पी.जी.ई.टी.) में अखिल भारतीय सामान्य योग्यता क्रमसूची में उच्चतम प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगाः

बशर्ते कि जब संबंधित श्रेणियों में उम्मीदवारों की उचित संख्या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु किसी शैक्षिक वर्ष के लिए आयोजित किए गए अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर पात्रता परीक्षा (ए.आई.ए.–पी.जी.ई.टी.), जैसा कि ऊपर विनिर्दिष्ट है, में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने में असफल हो जाए तो केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय परिषद् के परामर्श से अपने विवेक से संबंधित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अपेक्षित न्यूनतम अंकों को कम करने का निर्णय ले सकती है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा कम किए गए अंक मात्र उस शैक्षिक वर्ष हेतु लागू होंगे।

(iv) अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर पात्रता परीक्षा (ए.आई.ए.–पी.जी.ई.टी.) में प्राप्त अंकों के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की एक अखिल भारतीय योग्यता क्रमसूची एवं राज्यवार योग्यता क्रमसूची तैयार की जाएगी तथा अभ्यर्थी जो कि संबंधित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं, उनका प्रवेश स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम में मात्र इन सूचियों से होगा।

(v) सरकारी, सरकारी–सहायता प्राप्त संस्थानों एवं निजी संस्थानों में प्रवेश हेतु सीट मैट्रिक्स अखिल भारतीय कोटा हेतु 15 प्रतिशत होगी एवं राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र कोटा हेतु 85 प्रतिशत होगी।

(vi) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय, ट्रस्ट, सोसायटी, अल्पसंख्यक संस्थानों, निगमों अथवा कम्पनी द्वारा स्थापित संस्थाओं को सम्मिलित करते हुए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में समस्त यूनानी शिक्षण संस्थानों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउन्सेलिंग के लिए नियुक्त प्राधिकारी संबंधित राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र सरकार के संबंधित नियमों/विनियमों के अनुसार, जैसा मामला हो, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र होगा।

(vii) केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित समस्त यूनानी संस्थानों एवं अखिल भारतीय कोटा के अधीन सीटों हेतु स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सभी प्रवेशों के लिए काउन्सेलिंग केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी द्वारा आयोजित कराई जाएगी।

(viii) कोई भी अभ्यर्थी जो उपरोक्त निर्धारित न्यूनतम पात्रता अंक प्राप्त करने में विफल रहा है उसे उस शैक्षिक वर्ष में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(ix) प्रवेश के सम्बन्ध में इन विनियमों द्वारा निर्धारित मानदंड अथवा प्रक्रिया के उल्लंघन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए कोई भी प्राधिकारी अथवा संस्था किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश प्रदान नहीं करेगा तथा उक्त मानदंड अथवा प्रक्रिया का उल्लंघन करके प्रवेश किये गये किसी भी अभ्यर्थी को तत्काल परिषद् द्वारा मुक्त कर दिया जाएगा।

(x) प्राधिकरण/संस्था जो किसी भी छात्र को उक्त मानदंड अथवा प्रक्रिया का उल्लंघन करके प्रवेश प्रदान करती है, उन्हें अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई का सामना करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(xi) यूनानी चिकित्सा के किसी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारक किसी अभ्यर्थी को यूनानी चिकित्सा के किसी अन्य विषय में अगले पॉच वर्षों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु प्रवेष की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(xii) प्रायोजित अभ्यर्थी को उप–विनियम (1) के खण्ड (iii) में विनिर्दिष्ट अंकों का प्रतिशतक प्राप्त करना भी अपेक्षित होगा।

(xiii) विषय का परिवर्तन प्रवेश की तिथि से 2 माह की अवधि के भीतर संबंधित विभाग में रिक्ति एवं मार्गदर्शक की उपलब्धता की शर्त पर अनुमत होगा।

(2) सेवारत अभ्यर्थीः (i) अभ्यर्थी मान्यताप्राप्त अथवा अनुमोदित यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय में सम्बन्धित विषय में कम से कम पांच वर्ष की अवधि हेतु सेवा में होगा। (ii) अभ्यर्थी अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर पात्रता परीक्षा (ए.आई.ए.पी.जी.ई.टी.) में उपस्थित होंगे तथा इसमें अर्हक अंक प्राप्त करेंगे। (iii) अभ्यर्थी संस्था से तीन वर्ष का अवकाश लेंगे। अभ्यर्थी को शिक्षकों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा नियत सीट के अनुपात में प्रवेश दिया जाएगा। (विश्वविद्यालय द्वारा सेवारत शिक्षण प्रदान करने वाले अभ्यर्थी के लिए प्रत्येक विषय में एक सीट नियत की जाएगी)

(iv) सामान्य श्रेणी अभ्यर्थी के मामले में अन्य शर्तें वही रहेंगी।

शमशाद बानो, निबंधक–सह–सचिव

[विज्ञापन–III/4/असा./401/2018]

टिप्पणी : मुख्य विनियम भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में संख्या 11–77/2016 (पी.जी.रेगु.) दिनांक
07 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रकाशित किया गया था।

टिप्पणीः अंग्रेजी एवं हिन्दी विनियम में कोई विसंगति पायी जाती है, तो अंग्रेजी विनियम नामतः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर यूनानी शिक्षा) (संशोधन) विनियम, 2018 को अन्तिम माना जाएगा।

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2018

F. No. 11-77/2018-Unani (P.G. Regulation).—In exercise of the powers conferred by clauses (i), (j) and (k) of sub-section (1) of section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Council of Indian Medicine, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend the Indian Medicine Central Council (Post-Graduate Unani Medical Education) Regulations, 2016, namely: -

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Indian Medicine Central Council (Post-Graduate Unani Medical Education) Amendment Regulations, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Medicine Central Council (Post-Graduate Unani Medical Education) Regulations, 2016, for regulation 8, the following regulation shall be substituted, namely:-

"8. Mode of admission.—(1) Regular Candidates.- (i) A person holding the degree of Kamile Tib-o-Jarahat (Bachelor of Unani Medicine and Surgery) or equivalent degree from a recognised University or institution included in the Second Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970 and enrolled in Central or State register of Indian System of Medicine shall be eligible for admission in the post-graduate courses

(ii) There shall be a uniform entrance examination to all medical institutions at the post-graduate level namely, the All India AYUSH Post Graduate Entrance Test (AIA-PGET) in each academic year and shall be conducted by an authority designated by the Central Government:

Provided that the said All India AYUSH Post Graduate Entrance Test (AIA-PGET) shall not be applicable for foreign national's candidate.

(iii) In order to be eligible for admission to post-graduate courses for an academic year, it shall be necessary for a candidate to obtain minimum of marks at 50th percentile in the 'All India AYUSH Post Graduate Entrance Test (AIA-PGET)'held for the said academic year:

Provided that in respect of-

(a) candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, the minimum marks shall be at 40th percentile;

(b) candidates with benchmark disabilities specified under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the minimum marks shall be at 45th percentile for the General Category and 40th percentile for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

Explanation.—The percentile shall be determined on the basis of highest marks secured in the all India common merit list in the All India AYUSH Post Graduate Entrance Test (AIA-PGET):

Provided further that when sufficient number of candidates in the respective categories fail to secure minimum marks in the All India AYUSH Post Graduate Entrance Test (AIA-PGET), as specified above, held for any academic year for admission to post-graduate courses, the Central Government in consultation with the Council may at its discretion lower the minimum marks required for admission to post-graduate course for candidates belonging to respective categories and marks so lowered by the Central Government shall be applicable for that academic year only.

(iv) An all India common merit list as well as State-wise merit list of the eligible candidates shall be prepared on the basis of the marks obtained in the All India AYUSH Post Graduate Entrance Test (AIA-PGET)and the candidates, within the respective categories, shall be admitted to post graduate course from the said merit lists only.

(v) The seat matrix for admission in the Government, Government-aided Institutions and Private Institutions shall be fifteen per cent. for the all India quota and eighty-five per cent. for the States and Union territories quota.

(vi) The designated authority for counseling for all admissions to post-graduate course in all Unani educational institutions in the States and Union territories including institutions established by the State Government, University, Deemed University, Trust, Society, Minority Institution, Corporation or Company shall be the respective State or Union territory in accordance with the relevant rules and regulations of the concerned State or Union territory Government, as the case may be.

(vii) The counseling for all admissions to post-graduate course for seats under the all India quota as well as for all Unani educational institutions established by the Central Government shall be conducted by the authority designated by the Central Government.

(viii) No candidate who has failed to obtain the minimum eligibility marks as specified above shall be admitted to post-graduate course in the said academic year.

(ix) No authority or institution shall admit any candidate to the post-graduate course in contravention of the criteria or procedure as laid down by these regulations in respect of admissions and any candidate admitted in contravention of the said criteria or procedure shall be discharged by the Council forthwith.

(x) The authority or institution which grants admission to any student in contravention of the aforesaid criteria or procedure shall be liable to face action in terms of the provisions of the Act.

(xi) A candidate possessing post-graduate degree in one subject of Unani medicine shall not be allowed admission in any other subject of Unani medicine for post-graduate course for the next five years.

(xii) The sponsored candidates shall also be required to possess the percentile of marks specified in clause (iii) of sub-regulation (1).

(xiii) Change of subject shall be permissible within a period of two months from the date of admission, subject to availability of vacancy and guide in the concerned department.

(2) In-service candidates: (i) The candidate shall be in service for a minimum period of five years in the concerned subject in a recognised or approved Unani medical college.

(ii) The candidate shall appear in the All India AYUSH Post Graduate Entrance Test (AIA-PGET) and obtain qualifying marks in it.

(iii) The candidate shall take three year's leave from the concerned office and he shall be given admission against the seat allocated by the University for teachers (one seat in each subject shall be allocated for in-service teaching candidate by the University).

(iv) Other conditions shall remain same as in case of the regular candidates.".

SHAMSHAD BANO, Registrar-Cum-Secy.

[ADVT. III/4/Exty./ /2018]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4, *vide* No. 11-77/2016-Unani (P.G. Regulation), dated the 7th November, 2016.

(If any discrepancy is found between Hindi and English version of "Indian Medicine Central Council (Post Graduate Unani Education) Amendment Regulations, 2018", the English version will be treated as final.)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2018.12.10 22:34:19 +05'30'